सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

दायरा दिनांक :– 06.02.2024

वाद संख्याः– 22/प्रा0पत्र/2024

1. सुरेन्द्र कुमार आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी 226 ए तलबन्डी कोटा राज0

प्रार्थी

बनाम

1. अजीत कुमार आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी ठीकरदा हाल निवासी 216 ए तलवन्डी कोटा राज0
2. कैलाश देवी आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी रिद्धि सिद्धि नगर कोटा राज0
3. पारस कुमार आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी 133 इन्द्रा विहार कोटा राज0
4. महेन्द्रकुमार आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी 321 ए तलवन्डी कोटा राज0
5. रवीन्द्रकुमार आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी 216 ए तलवन्डी कोटा राज0
6. राजेन्द्रलाल आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी तेली मोहल्ला, देवली राज0
7. लाडदेवी पुत्री मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी रिद्धि सिद्धि नगर कोटा राज0
8. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :– एकतरफा

दिनांक :– 09/10/2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 448 खसरा संख्या 1750 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2295 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3091/1292 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3114/1718 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 650 रकबा 1.0846 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.4840 हैक्टेयर वाके ग्राम टोकडा पटवार मण्डल टोकडा तहसील हिण्डोली में विरिथत है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

ला रहा रहा है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम फतेहलाल दर्ज हो रहा है। भूमि खाता संख्या 283 खसरा संख्या 2379 रकबा 0.2671 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2671 हैक्टेयर वाके ग्राम टोकडा में विरिथत है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम फतेहलाल दर्ज हो रहा है। प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में दर्ज है, परन्तु प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम फतेहलाल दर्ज होने के कारण प्रार्थी को विभिन्न समस्या आ रही है, तथा प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर के0सी0सी ऋण व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, तथा उक्त इन्द्राज अवैध एंव निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार अंकित है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का फतेहलाल दर्ज हो रहा है, जो अवैध व निरस्तीय योग्य है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम फतेहलाल को दुरूस्त किया जाकर उक्त स्थान पर सुरेन्द्र कुमार दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 22.01.2024 को इन्कार का दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम फतेहलाल के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर प्रार्थी का सही नाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज करवाये एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम सुरेन्द्र कुमूार दर्ज करवावे। भूमि ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। श्रीमान से प्रार्थना है कि भूमि खाता संख्या 448 खसरा संख्या 1750 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2295 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3091/1292 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3114/1718 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 650 रकबा 1.0846 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.4840 हैक्टेयर वाके ग्राम टोकडा पटवार मण्डल टोकडा तहसील हिण्डोली व खाता संख्या 283 खसरा संख्या 2379 रकबा 0.2671 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2671 हैक्टेयर वाके ग्राम टोकडा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम फतेहलाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर सुरेन्द्र कुमार दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की ओर से जबाव पेश कर प्रार्थी का नाम फतेहलाल के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। परोकार सरकार की ओर से जबाव पेश कर कथन किया। कार्यालय तहसीलदार हिण्डोली का पत्रांक :–राजस्व/24/2934 दिनांक:–26.09.2024 द्वारा प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार जैन पाया है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 448 के अनुसार प्रार्थी का नाम फततेहलाल आ0 मनोहरलाल जैन अंकित है। जबकि अन्य जमाबन्दी खाता संख्या 383 में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार आ0 मनोहरलाल जैन अंकित है सहखातेदार व ग्राम के व्यक्तियों के बताये अनुसार फततेहलाल और सुरेन्द्र कुमार एक ही व्यक्ति के दोहरे नाम है। प्रार्थी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जमाबन्दी में अपना नाम शुद्ध करवा कर फततेहलाल से सुरेन्द्र कुमार करवाना चाहता है। जिसमें सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का फतेहलाल है जिसे फतेहलाल के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार दर्ज किया जावें।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व प्रार्थी के पेन कार्ड एवं जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में खाता संख्या 382 व 383 ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा में पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार अंकित है। जवाब अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 व पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 448 व खाता संख्या 283 वाके ग्राम टोकडा पटवार मण्डल टोकडा तहसील हिण्डोली में दर्ज प्रार्थी का नाम फतेहलाल के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 09.10.2024 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

09/10/2024

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446